

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 1973/फाल्गुन 7, 1894

No. 71] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 1973/PHALGUNA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1973

S.O. 107(E).—Whereas the United Front of Nagaland, a recognised State Party in the State of Nagaland, has communicated that the name of the said party has been changed as United Democratic Front and the Election Commission has decided to give effect to the said change.

Now, therefore, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following amendment in its Notification No. 56/72-I, dated the 1st February, 1972 published as S.O. No. 91(E) in an extraordinary issue of the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 2nd February, 1972, namely:—

In Table II, under the second column against Nagaland for entry "2. United Front of Nagaland", the entry "2. United Democratic Front" shall be substituted.

[No. 56/72-XI.]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1973

का० आ० 107 (अ).—यतः नागालैण्ड राज्य में मान्यता प्राप्त राज्याय दल यूनाइटेड फ्रंट आफ नागालैण्ड ने यह संसूचित किया है कि उक्त दल का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रूप में बदल दिया गया है तथा निर्वाचन आयोग ने इस परिवर्तन को प्रभावशाली करने का निर्णय किया है ;

अतः अब, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1958 के पैरा 17 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3(ii) तारीख 2 फरवरी, 1972 के साधारण अंक में का० आ० सं० 91 (ई) के रूप में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं० 56/72, तारीख 1 फरवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी 2 में स्तम्भ 2 के नीचे नागालैण्ड के सामने “2-यूनाइटेड फ्रंट आफ नागालैण्ड” प्रविष्टि के स्थान पर “2-यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[सं० 56/72—XI]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।